

Form No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)


तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम राजू लाल वसु रत

किसम रास्ता - विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

मुकदमा नम्बर :- 79 / 2022

31-10-22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम में जारी हुए
31-10-22	<p>तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2742 दिनांक 31-10-2022 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम <u>रवनीपुरा</u> के कृषि भूमि खसरा नम्बर <u>134 खसरा 7542 में से 00760 के कृषि</u> <u>दादी स्वरूप सिंह वाली से कल्याणपुरा</u> में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एव. नियम 58, 59, 60, 66, व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल, जमाबंदी, नक्शा, सहमति पत्र, ग्राम पंचायत <u>हाँसपुर</u> का रास्ते हेतु प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का <u>हाँसपुर</u> परिशिष्ट ए एवं अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर करने पर पत्रावली पेश हुयी। विविध प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भिजवाये गये रास्तों के प्रस्ताव तन ग्राम <u>रवनीपुरा</u> में रास्ता <u>दादी स्वरूप सिंह वाली से कल्याणपुरा</u> तक जाने वाला रास्ता जो मौके पर चालू होने से उक्त प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय आदेश मेंरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। पत्रावली फेशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)